जी0 आर0 संख्या– 321/22

न्यायालय, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, बक्सर

उपस्थितः– कमलेश सिंह देऊ

अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, बक्सर।

निर्णय की तिथिः– 21.06.2023

जी0 आर0 संख्या– 321/22

राजपुर थाना संख्या– 36/22

सूचिका	शारदा कुँवर
बिहार सरकार की ओर से	श्री राकेश कुमार राय
अभियुक्त	सुरेश राम वगैरह
अभियुक्तों की ओर से	श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह

घटना की तिथि	06.02.2022
प्राथमिकी की तिथि	12.02.2022
अंतिम प्रपत्र की तिथि	15.07.2022
संज्ञान की तिथि	19.09.2022
आरोप गठन की तिथि	15.06.2023
अंतिम बहस	19.06.2023
निर्णय की तिथि	21.06.2023

अभियुक्त का ब्यौरा

अभियुक्तों की संख्या	**अभियुक्तों का नाम**	गिरफतारी/ आत्मसमपर्ण की तिथि	जमानत पर छुटने की तिथि	आरोप अंतर्गत धारा	निर्दोष और दोषी
1 A	सुरेश राम	12.05.2022	12.05.2022	धारा 147 एवं 341,323,325 504,506/149 भा0 द0 सं0	निर्दोष
2 A	नखडू राम	12.05.2022	12.05.2022	धारा 147 एवं 341,323,325 504,506/149 भा0 द0 सं0	निर्दोष
3 A	अजित राम	12.05.2022	12.05.2022	धारा 147 एवं 341,323,325 504,506/149 भा0 द0 सं0	निर्दोष
4 A	अमरेश कुमार राम	14.07.2022	14.07.2022	धारा 147 एवं 341,323,325 504,506/149 भा0 द0 सं0	निर्दोष
5 A	अजय कुमार राम	14.07.2022	14.07.2022	धारा 147 एवं 341,323,325 504,506/149 भा0 द0 सं0	निर्दोष
6 A	अवधेश राम	10.05.2022	10.05.2022	धारा 147 एवं 341,323,325 504,506/149 भा0 द0 सं0	निर्दोष
7 A	उमेश राम	12.05.2022	12.05.2022	धारा 147 एवं 341,323,325 504,506/149 भा0 द0 सं0	निर्दोष
8 A	दिना उर्फ दिनानाथ राम	10.05.2022	10.05.2022	धारा 147 एवं 341,323,325 504,506/149 भा0 द0 सं0	निर्दोष

निर्णय

1. प्रस्तुत मुकदमें में अभियुक्तगण 1. सुरेश राम 2. नखडू राम 3. अजित राम 4. अमरेश कुमार राम 5. अजय कुमार राम 6. अवधेश राम 7. उमेश राम एवं 8. दिना उर्फ दिनानाथ राम का विचारण अन्तर्गत धारा 147 एवं 341,323,325,504,506/149 भा0 द0 सं0 के अन्तर्गत किया गया।

2. अभियोजन की संक्षेप में कथानक यह है कि सूचिका शारदा कुँवर दिनांक 06.02.2022 को समय करीब 3.30 बजे अपने द्वार पर बैठी थी उसी समय उसके गॉव के 1. सुरेश राम 2. नखडू राम 3. अजीत राम 4. अमरेश कुमार 5. अजय कुमार 6. अवधेश राम 7. उमेश राम एवं 8. दिनेश उर्फ टानी राम अचानक सुनियोजित ढंग से उसके द्वार पर आकर उसके लड़के से मारपीट करने लगे। नखडू राम ललकार कर जान से मारने के लिये कहा कि अजीत राम हाथ में लिये गड़ासा से रंजीत राम के उपर वार कर दिये बचने के क्रम में बायें हाथ की अॅगूली कट गयी तथा सुरेश राम भाला से सिकन्दर के उपर वार कर दिया जो बच गये परन्तु अमरेश, उमेश कुमार, अवधेश राम हाथ में देशी कट्टा लहराते हुये जान से मारने की धमकी देने लगे। अजय एवं दिनेश राम दोनों टॉगी से प्रहार कर दिये जिसमें रंजीत व सिकन्दर चोटिल हो गये तथा सिकन्दर राम के हाथ की घड़ी सोने की अॅगूठी व गले से एक भर का सोने का चेन तथा पॉकेट से 2000/– रूपया छिनकर सभी लोग वहॉ से भाग गये। तब वह अपने पुत्र का ईलाज कराने बक्सर चली गयी।

3. सूचिका शारदा कुँवर के लिखित आवेदन के आधार पर राजपुर थाना काण्ड सं0 36/22 दिनांकित 12.02.2022 अन्तर्गत धारा 147,341,323,379,504,506 भा0 द0 सं0 में अभियुक्तगण 1. सुरेश राम 2. नखडू राम 3. अजित राम 4. अमरेश कुमार राम 5. अजय कुमार राम 6. अवधेश राम 7. उमेश राम एवं 8. दिना उर्फ दिनानाथ राम के विरूद्ध दर्ज हुआ। अनुसंधान उपरांत आरोप पत्र सं0 214/22 दिनांक 15.07.2022 अभियुक्तगण 1. सुरेश राम 2. नखडू राम 3. अजित राम 4. अमरेश कुमार राम 5. अजय कुमार राम 6. अवधेश राम 7. उमेश राम एवं 8. दिना उर्फ दिनानाथ राम के विरूद्ध अनुसंधानकर्ता द्वारा दाखिल किया गया। अनु0 न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 19.09.2022 को आरोप पत्रित

अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 147,341,323,325,504,506/34 भा0 द0 सं0 में संज्ञान लिया गया।

4. संज्ञानोपरांत अभियुक्तों ने जमानत प्राप्त किया और अभियुक्तों की उपस्थिति पूर्ण हुई। अभियुक्तों को पुलिस कागजात एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र अन्तर्गत धारा 207 द0 प्र0 सं0 प्राप्त करायी गयी। अभियोजन तथा बचाव पक्ष को सुनने के पश्चात् अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 15.06.2023 को धारा 147 एवं 341,323,325,504,506/149 भा0 द0 सं0 के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया।

5. अभियोजन द्वारा 5 साक्षियों का परीक्षण कराया गया। अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात् अभियुक्तों का बयान अन्तर्गत धारा 313 द0 प्र0 सं0 दर्ज किया गया। बचाव पक्ष द्वारा कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. अब न्यायालय के पास विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप सन्देह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है ?

म न्त व्य

7. अभियोजन की ओर से कुल 5 साक्षी प्रस्तुत किये गये हैं। साक्षी सं0 1. शारदा कुँवर (सूचिका) 2. रंजीत कुमार 3. राम दुलार सिंह यादव 4. कमलेश कुमार राम एवं 5. लाल जी राम हैं।

8. साक्षी सं0 1 शारदा कुँवर (सूचिका) ने सशपथ बयान दी है कि यह घटना दिनांक 06.02.2022 को समय करीब 03:30 बजे की है। मैं अपने घर पर बैठी थी। उसी समय हमारे की गॉव के 01. सुरेश राम 02. नखरू राम 03. अजीत राम, 04. अमरेश राम 05. अजय 06. अवधेश राम 07. उमेश राम 08. दिनेश उर्फ टानी राम एकाएक मेरे दरवाजे पर आ गये और गाली–गलौज करते हुए मारपीट करने लगे जिसमें रंजीत एवं सिकन्दर राम को चोट लगा। सिकन्दर राम के हाथ की घड़ी वो गले से एक भर का सोने

का चेन वो दो हजार रूपया लेकर भाग गये। मैं अपना तथा अपने पुत्र का ईलाज अस्तपाल में करायी। दिनांक 12.02.2022 को मैं थाना आई और एक लिखित आवेदन दी। जिस पर मेरे दाहिने अगूँठे का निशान है। जिसे प्रदर्श P-1/PW-1 अंकित किया जाता है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कही है कि मेरे लड़के सिकन्दर राम और रंजीत राम के गले का सोने का सिकड़ी, अगूँठी एवं दो हजार रूपया घटनास्थल पर गिरा गया था जो मुझे बाद में मिल गया। कौन किसको मारा मैं नहीं बता सकती मैंने मुकदमा राजी–खुशी से सुलह कर दिया है। सुलहनामा पर अपने दाहिने अगूँठे का निशान बनायी हूँ। मुकदमा समाप्त हो जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं है।

9. साक्षी सं0 2 रंजीत कुमार हैं। इस साक्षी ने अपने सशपथ पर बयान दिया है कि घटना दिनांक 06.02.2022 को समय करीब 03:30 बजे की है। मैं अपने घर पर बैठा था। उसी समय हमारे की गॉव के 01. सुरेश राम 02. नखरू राम 03 अजीत राम, 04. अमरेश राम 05. अजय 06. अवधेश राम 07. उमेश राम 08. दिनेश उर्फ टानी राम एकाएक मेरे दरवाजे पर आ गये और गाली–गलौज करते हुए मारपीट करने लगे जिसमें मुझे एवं सिकन्दर राम को चोट लगा। सिकन्दर राम के हाथ की घड़ी वो गले से एक भर का सोने का चेन वो दो हजार रूपया लेकर भाग गये। मैं अपना ईलाज राजपुर पी0 एस0 सी0 में कराया तथा उसके बाद सदर अस्पताल बक्सर में कराया।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मेरा एवं सिकन्द्र राम के गले से सोने का सिकड़ी, अगूँठी एवं दो हजार रूपया घटना स्थल पर गिरा गया था जो मुझे बाद में मिल गया। कौन किसको मारा मैं नहीं बता सकता मैंने मुकदमा राजी–खुशी से सुलह कर दिया है। सुलहनामा पर मेरा हस्ताक्षर है। मुकदमा समाप्त हो जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं है।

10. साक्षी सं0 3 राम दुलार सिंह यादव है। इस साक्षी ने अपने सशपथ पर बयान दिया है कि मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस मुझसे पूछताछ नहीं की थी।

अभियोजन द्वारा इन साक्षियों को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है।

11. साक्षी सं0 4 कमलेश कुमार राम है। इस साक्षी ने अपने सशपथ पर बयान दिया है कि मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस मुझसे पूछताछ नहीं की थी।

अभियोजन द्वारा इन साक्षियों को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है।

12. साक्षी सं0 5 लाल जी राम है। इस साक्षी ने अपने सशपथ पर बयान दिया है कि मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस मुझसे पूछताछ नहीं की थी।

अभियोजन द्वारा इन साक्षियों को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है।

13. प्रस्तुत मुकदमा में साक्षी सं0 1 शारदा कुँवर जो इस मुकदमा में सूचिका है ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकारी है कि मेरे लड़के सिकन्दर राम और रंजीत राम के गले का सोने का सिकड़ी, अगूँठी एवं दो हजार रूपया घटनास्थल पर गिरा गया था जो मुझे बाद में मिल गया। कौन किसको मारा मैं नहीं बता सकती मैंने मुकदमा राजी–खुशी से सुलह कर दिया है। सुलहनामा पर अपने दाहिने अगूँठे का निशान बनायी हूँ। मुकदमा समाप्त हो जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं है। साक्षी सं0 2 रंजीत कुमार ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मेरा एवं सिकन्द्र राम के गले से सोने का सिकड़ी, अगूँठी एवं दो हजार रूपया घटना स्थल पर गिरा गया था जो मुझे बाद में मिल गया। कौन किसको मारा मैं नहीं बता सकता मैंने मुकदमा राजी–खुशी से सुलह कर दिया है। सुलहनामा पर मेरा हस्ताक्षर है। मुकदमा समाप्त हो जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं है। साक्षी सं0 3,4 एवं 5 को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है।

14. अभियोजन द्वारा अनुसंधानकर्ता को प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि घटना तथा घटनास्थल की पुष्टि हो सके।

15. उपरोक्त साक्षियों के द्वारा दिये गये साक्ष्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि सूचिका द्वारा अपने प्राथमिकी की घटनाओं का समर्थन नहीं किया गया है। उभय पक्षों के बीच सामंजस्य स्थापित हो गया है तथा गलतफहमी का समाधान हो चुका है। अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध एकराय होकर मारपीट करने, बलवा करने तथा

चेन, सिकड़ी तथा रूपया छिनने के आरोप को सिद्ध करने में असफल रहा है।

आदेश

16. अतः अभियुक्तगण 1. सुरेश राम 2. नखडू राम 3. अजित राम 4. अमरेश कुमार राम 5. अजय कुमार राम 6. अवधेश राम 7. उमेश राम एवं 8. दिना उर्फ दिनानाथ राम को धारा 341,323,325,504,506/149 भा0 द0 सं0 को सुलह के आधार पर तथा धारा 147 भा0 द0 सं0 के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है।

(लेखापित व शुद्धिकृत)

Sd/-

(कमलेश सिंह देऊ)

अनु0 न्या0 दण्डा0 बक्सर।

दिनांक 21.06.2023

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया एवं शुद्धिकृत किया गया।

Sd/-

(कमलेश सिंह देऊ)

अनु0 न्या0 दण्डा0 बक्सर।

दिनांक 21.06.2023

जी0 आर0 संख्या– 321/22

परिशिष्ट

A क्रमांक	अभियोजन साक्षियों की सूची	
P/W-1	शारदा कुँवर	सूचिका
P/W-2	रंजीत कुमार	सूचिका के पुत्र
P/W-3	राम दुलार सिंह यादव	सूचिका के ग्रामीण
P/W-4	कमलेश कुमार राम	सूचिका के ग्रामीण
P/W-5	लाल जी राम	सूचिका के ग्रामीण

B	बचाव पक्ष के साक्षी	
क्रमांक	कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया	

C	कोर्ट के गवाह	
क्रमांक	कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया	

क्रमांक	अभियोजन/बचाव पक्ष के द्वारा प्रदर्शो की सूची	
P-1/PW-1	प्राथमिकी आवेदन पर सूचिका का हस्ताक्षर	

क्रमांक	**बचाव पक्ष की ओर से**	
	कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया	

क्रमांक	कोर्ट के गवाह	
	कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया	

क्रमांक	वस्तु प्रदर्श	
	कोई वस्तु प्रदर्श प्रस्तुत नहीं किया गया	